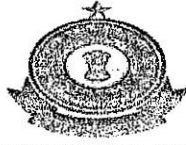


दस्तावेज/आयातकों/निर्यातकों के सदस्यों का ध्यान दिनांक 30.08.2018 के परिपत्र संख्या 29/2018 - सीमा

06/09/18



**OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS (EXPORTS),
INLAND CONTAINER DEPOT, TUGHLAKABAD,**

NEW DELHI-110037

o, VIII/ICD/TKD/Export/Tech/23/2017/Part-1

Dated: 31.08.2018

PUBLIC NOTICE NO. 28/2018-19

INLAND CONTAINER DEPOT,

v111/1सीडी/टीकेडी/निर्यात1टी/2C.No. V111/1CD/TKD/Exp01t/Tech/23 सी.सं.

विषय- स्विफ्ट के तहत कागज रहित प्रसंस्करण का प्रायोगिक कार्यान्वयन - निर्यात में सहायक दस्तावेजों(ई-संचित) को अपलोड करने के संबंध में।

व्यापार/आयातकों/निर्यातकों के सदस्यों का ध्यान दिनांक 30.08.2018 के परिपत्र संख्या 29/2018 - सीमा शुल्क की ओर आकर्षित किया जाता है, जो स्विफ्ट के तहत कागज रहित प्रसंस्करण प्रायोगिक कार्यान्वयन के संबंध में है - निर्यात में सहायक दस्तावेजों (ई-संचित) को अपलोड करना। सीमा शुल्क / नियामक एजेंसियों और व्यापार के बीच भौतिक इंटरफेस को कम करने और निर्यात में निकास की गति को बढ़ाने के उद्देश्य से, आईसीडी-तुगलकाबाद (निर्यात), नई दिल्ली में प्रायोगिक आधार पर डिजिटल हस्ताक्षरित सहायक दस्तावेजों को अपलोड करने की सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव है। प्रायोगिक परियोजना में आईसीईएस के तहत सभी प्रकार के निर्यात शामिल होंगे। स्वैच्छिक आधार पर, व्यापार के सदस्य शिपिंग बिलों से संबंधित सहायक दस्तावेज अपलोड करने के लिए इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं जो 01.09.2018 को या उसके बाद से दर्ज किए जा सकते हैं। सुविधा शुरू होने के 15 दिन बाद समीक्षा की जाएगी और उसके बाद इसे एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में शुरू किया जाएगा। इस प्रायोगिक के लिए, निम्न प्रक्रिया लागू होगी।

सहायक दस्तावेज अपलोड करना

2. निर्यात साइड पर ई-संचित की प्रक्रिया परिपत्र संख्या 40/2017 दिनांक 13.10.2017 के माध्यम से आयात में

आइसगेट पर सहायक दस्तावेज अपलोड करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों को आइसगेट यूआरएल <https://www.icegate.gov.in/> देखना होगा, अपने एक्सेस निजी विवरण का उपयोग करके आइसगेट में लॉगिन करने के लिए लॉगिन/साइनअप बटन पर क्लिक करें और फिर ई-संचित पर क्लिक करें। ई-संचित पर बाएं वर्टिकल मेनू में लिंक दिया गया है। सहायक दस्तावेजों को अपलोड करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया आइसगेट वेबसाइट पर भी दी की गई है। अपने संबंधित रिमोट ईडीआई प्रणाली (आरईएस) में आइसगेट

पर दर्ज करने के लिए जॉब तैयार करते समय, अधिकृत व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने सभी आवश्यक सहायक दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं। अधिकृत व्यक्तियों को उनके द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों तक पहुंचने और देखने के लिए आइसगेट पर एक सुविधा भी प्रदान की गई है।

2.2 यदि अधिकृत व्यक्ति शिपिंग बिल संख्या उत्पन्न होने के बाद एक दस्तावेज प्रदान करना चाहता है, तो वह पहले आइसगेट पर दस्तावेज अपलोड कर सकता है, दस्तावेज के लिए एक विशिष्ट आईडी चित्र संदर्भ संख्या (आईआरएन) प्राप्त कर सकता है और संबंधित शिपिंग बिल के साथ उस दस्तावेज को सेवा केंद्र में एक संशोधन प्रस्तुत करके लिंक कर सकता है। यह तब भी लागू होगा जब अधिकृत व्यक्ति शिपिंग बिल के लिए सीमा शुल्क द्वारा उठाए गए प्रश्न के उत्तर में एक दस्तावेज दर्ज करता है।

मूल्यांकन एवं दस्तावेज सत्यापन

2.3 . एक बार शिपिंग बिल दर्ज हो जाने के बाद, सीमा शुल्क अधिकारी आईसीईएस पर शिपिंग बिल को देखने या उसका आकलन करते समय सहायक दस्तावेजों के अपलोड किए गए इलेक्ट्रॉनिक संस्करणों तक पहुंच सकेंगे। मूल्यांकन के दौरान, आईसीईएस अतिरिक्त दस्तावेजों या जानकारी के लिए एक प्रश्न पूछने का प्रावधान करता है। किसी प्रश्न के उत्तर में, उपरोक्त पैरा 2.2 में वर्णित प्रक्रिया का पालन करके सहायक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किए जा सकते हैं। मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन देखे जाएंगे। उचित समय में, सहायक दस्तावेज देखने की सुविधा सहभागी सरकारी एजेंसियों (पीजीए) के अधिकारियों को भी प्रदान की जाएगी।

वस्तु पंजीकरण, परीक्षा एवं निर्यात आदेश (लेट एक्सपोर्ट आदेश)

2.4 शिपिंग बिल दर्ज करने के बाद, अधिकृत व्यक्ति (जैसे निर्यातक/सीमा शुल्क ब्रोकर) शिपिंग बिल की अपनी स्व-निर्धारित प्रति के साथ, वस्तु पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन और एलईओ के लिए नामित स्थान से संपर्क कर सकता है। यदि वस्तु की जांच की जानी है, तो वस्तु की जांच करने वाला अधिकारी आईसीईएस पर ऑनलाइन निरीक्षण/परीक्षा के परिणाम दर्ज कर सकता है।

प्रायोगिक-परीक्षण की जाने वाली अन्य विशेषताएं

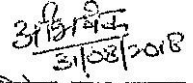
4. हितधारकों के परामर्श से, प्रयोग के दौरान, निम्नलिखित विशेषताओं को पायलट-परीक्षण में शामिल किया जाएगा।

(क) शिपिंग बिलों के लिए सहायक दस्तावेजों को अपलोड करें जो सेवा केंद्रों के माध्यम से दर्ज किए जाते हैं।

(ख) वर्तमान में, एलईटी निर्यात आदेशों की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां और शिपिंग बिलों की मूल्यांकन प्रतियां अभिरक्षकों और अधिकृत व्यक्तियों को ऑनलाइन भेजी जाती हैं। प्रयोग के दौरान, इन संदेशों पर शिपिंग बिलों की प्रतियों के स्थान पर डिजिटल हस्ताक्षर लागू किए जाएंगे।

5. शिपिंग बिल (इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा) विनियमन, 2011, अधिकृत व्यक्ति को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणाएं (शिपिंग बिल) प्रस्तुत करने और संबंधित हार्डकॉपी प्रस्तुत करने के लिए व्यापार की आवश्यकता के साथ दस्तावेजों और वितरण का समर्थन करने का प्रावधान करता है। विनियमों में यह भी प्रावधान है कि अधिकृत व्यक्ति शिपिंग बिल की स्वीकृति की तिथि 5 साल की अवधि के लिए, मूल रूप से सभी सहायक दस्तावेजों को बनाए रखेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा प्रस्तुत करने में उसके द्वारा उपयोग किए गए या भरोसा किए गए थे, और सीमा शुल्क अधिनियम 1962 या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही के संबंध में सीमा शुल्क या अन्य सरकारी एजेंसियों के समक्ष उनका उत्पादन करेगा।

सभी व्यापार संघ/वाणिज्य मंडल/क्षेत्रीय सलाहकार के सदस्य समिति और सीमा शुल्क गृह एजेंटों संघ से अनुरोध है कि वे अपने सदस्यों/घटकों के बीच इस सार्वजनिक सूचना की सामग्री का प्रचार करें।


अभिषेक चंद्र गुप्ता
संयुक्त आयुक्त
अंतर्देशीय कंटेनर डिप्टी

प्रति अग्रेषित -

1. मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क (दिल्ली क्षेत्र) न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली
2. सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), एनसीएच, नई दिल्ली-110037
3. प्रणाली एवं आंकडा प्रबंधन महानिदेशालय, 4, 5वां तल, होटल सम्राट, चाणक्यापुरी नई दिल्ली
4. प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, एयर कार्गो (आयात), एनसीएच, नई दिल्ली- 110037
5. आयुक्त सीमा शुल्क, एयरपोर्ट एवं जनरल आयुक्तालय, एनसीएच, नई दिल्ली- 110037
6. सीमा शुल्क आयुक्त (निर्यात), आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली- 110020
7. सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली- 110020
8. सीमा शुल्क आयुक्त, आईसीडी, पीपीजी
9. सीमा शुल्क अपर आयुक्त (निर्यात), आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली- 110020
10. सीमा शुल्क संयुक्त आयुक्त (निर्यात), आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली- 110020

11. उप/सहायक आयुक्त, बीआरसी, ईडीआई, ड्रॉबैक, एसआईआईबी, निर्यात शेड, आईसीडी (निर्यात), तुगलकाबाद, नई दिल्ली
12. फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन, निर्यात भवन, राव तुला राम मार्ग, ऑपोजिट सेना अस्पताल अनुसंधान एवं रेफरल, नई दिल्ली-110057
13. अध्यक्ष, दिल्ली सीमा शुल्क क्लियरिंग एजेंट संगठन, 260-61, अनारकली बाजार, नई दिल्ली--110001
14. पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री, पीएचआई) हाउस, 4/2 सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016 (ई-मेल: phdcc.i@phclccj.in)।
15. एसोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, 5, सरदार पटेल मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली - 1 10021 (ई-मेल: assocham@nic.in)।
16. भारतीय उद्योग परिसंघ, मंतोष सौधी केंद्र, 23, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली - 1 10003 (ई-मेल: infQ@sii.in)।
17. अध्यक्ष एवं सचिव, एम/एस दिल्ली निर्यातक संगठन, 1998. नौधेरा, किनारी बाजार, दिल्ली-110001.
18. गार्ड फाइल
19. सूचना पट्ट (नोटिस बोर्ड)